# पारादीप पत्तन कर्मचारी (कल्याण निधि), विनियम 1969

संख्या- 4720

एल ओ जी 88/69-पीपीटी- महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 का 38), की धारा 124 की उपधारा (2) के अनुसरण में तथा उक्त अधिनियम की धारा 28 की खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन का न्यासी बोर्ड इसकेद्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर निम्नलिखित विनियमों को प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

1. **लघुशीर्ष और प्रारंभः–**
   1) ये विनियमों, पारादीप पत्तन कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1969 कहलाएंगे ।
   2) वे भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषा** :-

   इन विनियमों में, अन्यथा संदर्भ की अन्य बातों के रहते :-
   1) ''**बोर्ड**'', ''**अध्यक्ष**'' **और ''उपाध्यक्ष** '' का अर्थ महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 में निर्धारित किए गए अनुसार होगा ।
   2) ''**कर्मचारी** '' का अर्थ बोर्ड का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी और इसमें विदेश सेवा पर किसी कर्मचारी और बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के किसी कर्मचारी शामिल हैं ।
   3) ''**निधि**'' का अर्थ विनियम-3 के अंतर्गत बनाए गए पारादीप पत्तन कल्याण निधि ।
   4) ''**सामान्य लेखा**'' का अर्थ बोर्ड का सामान्य लेखा ।
3. **<u>निधि का गठन</u>** :-

   पारादीप पत्तन कल्य'ण निधि नामसे एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा :-

   क) बोर्ड द्वारा समान्य लेखे से समय समय पर मंजूर वैसे अंशदानों,

   ख) कर्मचारियों से वसूल जुरमाना,

   ग) निधि से संबंधित निवेशों पर लाभ तथा ब्याज, एवं

   घ) उपहार या चंदा के आधार पर निधि में शामिल किए गए किसी अन्य राशि या संपत्ति
4. **निधि का प्रचालन** :–

   अध्यक्ष द्वारा इस निधि का प्रचालन किया जाएगा जोकि अपने विवेकाधिकार में इस प्रयोजन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकते हैं ।

**5. निधि से व्यय** :–

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधि से खर्च किया जाएगा, जैसाकि

क) कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याण से जुडे संस्थानों, क्लबों और सहकारी समितियों आदि को चंदा, अंशदान और उपहार,

ख) कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति और साक्षरता कक्षाएं, हस्तकला शिक्षा तथा कर्मचारियों तथा परिवार के सदस्यों के लिए अध्ययन कक्ष,

ग) पत्तन के अंदर जीवन और संपत्ति को बचाने और अन्य सराहनीय कायों के लिए विशेष पुरस्कार,

घ) कार्य करते समय दूर्घटनाओं के कारण आंशिक या स्थायी रुप से विकलांग हुए कर्मचारियों को कृत्रिम अंग या अन्य साधन का प्रावधान करना,

ङ) कर्मचारियों के उपयोग के लिए बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परामर्श दिए गए विशेष दवाईयों के मूल्य का भुगतान,

च) भीषण संकट के समय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता,

छ) कर्मचारियों के लिए खेदकूद, प्रतियोगिताएं, नाटकों, संगीत, सिनेमा, भजन आदि कार्यक्रमों को आयोजित करने और कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस मनाए जाने हेतु अनुदान,

ज) कर्मचारियों के सुविधा के लिए गर्म तथा थंड मौसम प्रभार का भुगतान, और

झ) अध्यक्ष के विवेकाधिकर में कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुविधा के लिए किसी अन्य मद्द से संबंधित व्यय ।

**6. निधि से संवितरण** :–

प्रत्येक मामले में अध्यक्ष के विशेष मंजूरी पर ही निधि से राशि का संवितरण किया जाएगा ।

**7. निधि में अधिकतम राशि** :–

निधि में अधिकतम राशि 50,000/- रु तक ही सीमित रहेगा ।

**8. निधि में अधिशेष का निपटान** :–

निधि के लिए निर्धारित अधिकतम राशि के परे किसी अधिशेष को बोर्ड के सामान्य लेखे में जमा किया जाएगा ।

**9. व्याख्या** :–

किसी संदेह के लिए, इस निधि से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

**आर एन महान्ति**
**अध्यक्ष**
**पारादीप पत्तन न्यास**

21 जुलाई,1969